आपूर्ति करने हेतु की गयी वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना के चरण-III हेतु स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन्दौर शहर को पेयजल की बढती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) नर्मदा जल आपूर्ति स्कीम सोपान-II के पूरा होने पर नर्मदा नदी से उपलब्ध कुल जल आपूर्ति प्रति दिन 38 मिलियन गैलन है, जिसमें से प्रति दिन लगभग 3 मिलियन गलन मऊ राऊ मण्डलेश्वर तथा कुछ गांवों के लिए उपयोग किया जाता है। इस तरह नर्मदा नदी से इन्दौर को जल आपूर्ति प्रतिदिन 35 मिलियन गैलन है। प्रति दिन 7 मिलियन गैलन अतिरिक्त जल यशवन्त सागर, बिलौली, सिरपुर तथा शहर में स्थापित नलकूपों और खुदाई कुओं से लिया जाता है। इस प्रकार शहर में कुल जल आपूर्ति प्रति दिन लगभग 42 मिलियन गैलन है। वर्ष 1991 की गणना के अनुसार जनसंख्या 1104,065 है तथा इस जनसंख्या के लिए विद्यमान जल आपूर्ति प्रति व्यक्ति प्रति दिन 38 गैलन अथवा प्रति व्यक्ति प्रति दिन 172 लीटर है, जो पर्याप्त है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) इन्दौर शहर की मांग पूरी करने के लिए जल आपूर्ति के विद्यमान स्रोत पर्याप्त हैं, केवल वितरण प्रणाली के सुधार का प्रस्ताव बनाया जा रहा है।

12.00 NOON

[The Deputy Chairman in the Chair]

PAPERS LAID ON THE TABLE

Report and Accounts (1990-91) of the National Capital Region Planning Board and related papers.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI SHEILA KAUL): Madam, I lay on the Table, under section 26 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985. a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Sixth Annual Report of the National Capital Region Planning Board for the year 1990-91.

(ii) Annual Accounts of the National Capital Region Planning Board for the year 1990-91, and the Audit Report thereon.

Report and Accounts (1990-91) of the Water and Power Consultancy Services (India) Limited, New Delhi and related papers.

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): Madam, I lay on the Table, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Twenty-second Annual Report and Accounts of the Water and Power Consultancy Services (India) Limited, New Delhi, for the year 1990-91, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(ii) Statement by Government accepting the above Report.